धारा 143 परगना–अहार तहसील– स्याना, जिला–बुलन्दशहर ।

निर्णय

प्रश्नगत वाद अजयपाल सिंह पुत्र खजान सिंह व वीरेन्द्रसिंह व सत्यपाल सिंह पुत्रगण अजयपाल सिंह निवासी ग्राम– मडैयाकलां परगना– अहार तहसील– स्याना जिला बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादहु अजयपाल सिंह पुत्र खजान सिंह,वीरेन्द्र सिंह व सत्यपाल पुत्रगण अजयपाल सिंह,ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रपाल सिंह, शीला उपनाम सुक्खी पत्नि चन्द्रपाल सिंह निवासीगण ग्राम मडैयाकलां मजरा ऊंचागांव व अजयपाल सिंह प्रेमवती देवी एजुकेशनल ट्रस्ट मकान न0 938 उंचागांव सचिव वीरेन्द्र पुत्र अजयपाल सिंह द्वारा ग्राम अमरथल उर्फ ऊंचागांव परगना –अहार तहसील– स्याना,जिला–बुलन्दशहर स्थित भूमि खाता सं0 06 के गाटा सं0 642 रकवई 1.7610है0 को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसील से प्राप्त आख्या के आधार पर योजित हुआ।

वाद पंजीकृत किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में तहसील से प्राप्त आख्या में मौके का फोटोग्राफ संलग्न कर भूमि पर कृषि कार्य नहीं होने , भूमि मत्स्य पालन व कुकुक्ट पालन आदि के प्रयोग में न आने , भूमि पर दीवार बनी होने तथा ईंट पडी होने का उल्लेख करते हुये भूमि अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है। वादी के अधिवक्ता द्वारा भूमि खाता सं0 06 के गाटा सं0 642 रकवई 1.7610है0 को कृषि कार्य न होने व तहसील आख्या के आधार पर अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। तहसील आख्या के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा उ0प्र0 शासन,लखनउ आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र सं0 एम0एस0/8–3–13–47 विविध/13 दिनांक 03–6–2013 व मुख्य सचिव,राजस्व अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1192/एफ–1–2012–24(2)/2012 दिनांक 24.12.2012 के अर्न्तगत दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनंने व पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि तहसील आख्या के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायहित मेंग्राम–अमरथल उर्फ ऊँचागांव परगना–अहार तहसील स्याना– जिला– बुलन्दशहर स्थित भूमि खाता सं0 06के गाटा सं0 642 रकवई 1.7610है0 को लगान समाप्त कर इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाता है कि अधिसूचित क्षेत्रों में विकास/निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिनियम के प्राविधानों का पालन करते हुये भू–उपयोग परिवर्तन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य है, तथा सुसंगत अधिनियमों के अर्न्तगत लागू योजनाओं में निर्धारित भू–उपयोग के अनुसार अथवा नियमानुसार भू–परिवर्तन कराने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ही विकास/निर्माण कार्य किया जायेगा । उ0प्र0 ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 की व्यवस्था के अर्न्तगत प्रख्यापन मात्र से भू–उपयोग परिवर्तन नहीं होगा। यदि उक्त धारा के अर्न्तगत प्रख्यापन को भू–उपयोग परिवर्तन के रूप में लिया जाता है, तो विधि विरूद्व मानते हुये ऐसा भू–उपयोग निष्प्रभावी होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार स्याना व उप निवन्धक स्याना को भेजी जावे । तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक:– 21.10.14

सत्य प्रतिलिपि
कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर
दिनांक 15-2-19

21/10/14
(जगत पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी
स्याना ।